




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 708]
No. 708]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अक्टूबर 29, 1998/कार्तिक 7, 1920
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 1998/KARTIKA 7, 1920

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1998

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नीति, 1998

का. आ. 936(अ).—1. प्रस्तावना

1.1 प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता ने प्राणी उद्यानों को एक लोकप्रिय संस्थान का स्वरूप प्रदान किया है। अनुमान बताते हैं कि हर साल विश्व की कुल आबादी के 10 प्रतिशत लोग प्राणी उद्यानों में आते हैं। भारत में करीब 350 किस्म की प्रजातियों का प्राणी समूह है जिन्हें हर साल करीब 50 लाख लोग देखने के लिए आते हैं।

1.2 हालांकि देश में पकड़े गए जंगली जानवरों की वैज्ञानिक अभिरुचि, संरक्षण तथा कल्याण से संबंधित एक अपना इतिहास है, तथापि अनेक प्राणी उद्यान, प्राणी संग्रहों तथा निजी संग्रहणों से विकसित हुए हैं और पिछले दो दशकों तक अनेक प्राणी उद्यानों की स्थापना मुख्यतः मनोरंजन तथा मन-बहलाय संबंधी प्रयोजनों से की गई थी। चूंकि अतीत में वन्य-प्राणियों से संबंधित संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, अतः प्राणियों के प्राकृतिक व्यवहार और जैव संबंधी आवश्यकताओं की वैज्ञानिक जानकारी के संबंध में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका और इसका परिणाम यह हुआ कि बन्धक बनाए गए वन्य-प्राणियों की वैज्ञानिक देख-रेख संबंधी प्रक्रिया धीमी गति से हुई।

1.3 संरक्षण कार्य को, प्राणी उद्यानों के प्रबंधन का एक मुख्य लक्ष्य बनाए जाने की आवश्यकता, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद महसूस की गई थी और भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने इस संबंध में कई महत्वपूर्ण सिफारिशों की

थी। सरकार ने प्राणी उद्यानों के प्रबंधन के संबंध में नवम्बर, 1972 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी और उक्त समिति की सिफारिशों को जून, 1973 में मंजूर कर लिया गया था। प्राणी उद्यानों के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए ये सिफारिशें आज भी प्रासंगिक हैं। 1983 की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में राष्ट्रीय संरक्षण प्रयासों के अन्तर्गत, स्थान-बाह्य संरक्षण की भूमिका पर पुनः बल दिया गया है। तथापि, विविध आनररिगिड पेटर्नो तथा प्राणी प्रजातियों की भिन्न-भिन्न किस्मों के कारण इस संबंध में कुछ विशेष नहीं किया जा सका है।

1.4 आज जबकि वन्यजीवों के वास्तव्यल काफी अधिक दबाव की स्थिति में हैं और भारी संख्या में वन्यजीव जन्तुओं की प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है, इस स्थिति में प्राणी उद्यानों का दायित्व न केवल उनकी अपनी जनसंख्या को बनाए रखना है, बल्कि वन्यजगत में संकटापन्न प्रजातियों की विलुप्तप्रायः जनसंख्या में वृद्धि करना भी है। इस नई भूमिका के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण समुदाय और जैव-विविधता कन्वेंशन के अनुच्छेद-9 में भी स्वीकार किया गया है।

1.5 चूंकि, प्राणी उद्यानों में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, अतः प्राणी उद्यान, प्राकृतिक क्षेत्रों की सुरक्षा तथा प्रकृति में जीवन को संवर्धित करने वाली प्रक्रिया के बीच संबंध के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण घटकों का काम करते हैं। सुनियोजित तथा उपयुक्त डिज़ाइन से बनाए गए प्राणी उद्यान प्रकृति के प्रति कठोर और उदासीन रविये से उत्पन्न खतरों के बारे में आगन्तुकों को संवेदनशील बना सकते हैं।

1.6 भारत के कुछ राज्यों में सुनियोजित तथा अच्छे डिज़ाइनों के प्राणी उद्यान स्थापित किए गए थे, लेकिन अधिकांश भागों में ये प्राणी उद्यान बदलती परिस्थितियों के कारण पड़ने वाले दबावों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सके हैं और अभी भी अतीत की भांति अपना कार्य कर रहे हैं, यानि ऐसी स्थितियों में प्राणियों को प्रदर्शित करना, जोकि न तो प्राणियों के अनुकूल होती हैं और न ही आगन्तुकों को कोई जानकारी प्राप्त हो पाती है।

1.7 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1991 में किए गए संशोधनों में केन्द्रीय विधिधाघर प्राधिकरण के माध्यम से प्राणी उद्यानों के प्रबंधन से संबंधित अनिवार्य

मानकों और शर्तों को लागू करने की व्यवस्था की गई है। तथापि यह महसूस किया गया है कि उक्त अधिनियम के लक्ष्य केवल सरकारी स्मैलियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा बड़ी संख्या में लोगों के सहयोग और उनकी भागीदारी से ही प्राप्त किए जा सकते हैं।

1.8 राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति का लक्ष्य, प्राणी उद्यानों के प्रबंधकों को सभी संबंधितों का सहयोग तथा भागीदारी जुटाकर उन्हें निर्यात और बल प्रदान करना है।

2. लक्ष्य

2.1 प्राणी उद्यानों का प्रमुख लक्ष्य देश की समृद्ध जैव-विविधता, विशेषकर वन्यजीवों के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयासों को और आगे बढ़ाना और उन्हें तेज करना होगा। यह लक्ष्य निम्नलिखित प्रोटोकॉल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है :-

2.1.1 ऐसी संकटापन्न प्रजातियों, जिनके वन्यजगत में बने रहने की कोई संभावना नहीं है, का स्थान-बाह्य स्थितियों में समन्वित प्रजनन करा के तथा उन्हें जीवित रखने का एक अन्तिम अवसर प्रदान करके, जब भी उपयुक्त और अपेक्षित हो, वन्यजगत में पुनर्वासित करने हेतु उनके स्टाक में बढ़ोतरी करके संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण को प्रोत्साहन देना।

2.1.2 प्राणी उद्यानों में आने वाले लोगों के मन में वन्यप्राणियों के प्रति सहानुभूति तथा प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण और पारि-संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में समझ और जागरूकता विकसित करना।

2.1.3 सामान्यतः, संरक्षण के लिए उपयोगी वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अवसर प्रदान करना तथा स्वस्थाने और स्थान-बाह्य संरक्षण कार्यों में शामिल स्मैलियों के बीच प्रयोग के लिए डाटा बेस सृजित करना।

2.1.4 उपरोक्त लक्ष्यों के अलावा, उक्त प्राणी उद्योग, निराश्रित वन्य प्राणियों की सुरक्षा केन्द्रों के रूप में कार्य करते रहेंगे, बशर्ते कि इसके लिए उपयुक्त जगह और देख-रेख की सुविधा उपलब्ध हो। जहाँ कहीं उपरोक्त प्राणियों को रखने और

उनकी देखभाल करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके संबंध में राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार उक्त प्राणी उद्यानों के प्रदर्शन क्षेत्रों से पृथक सुविधाएं सुनिश्चित करेंगी, बशर्ते कि इसके लिए भूमि उपलब्ध हो ।

3. लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्यनीति

3.1 प्राणी उद्यानों के बारे में सामान्य नीति

3.1.1 चूंकि, प्राणी उद्यानों को भूमि, जल, ऊर्जा तथा धन के रूप में प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती है, अतः कोई नया प्राणी उद्यान तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसके लिए विस्तृत और तकनीकी सहायता सहित अन्य स्थाई संसाधनों की आपूर्ति की गारंटी न हो ।

3.1.2 चिड़ियाघर, विकास के लिए दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार करेंगे ताकि भूमि, जल, ऊर्जा और धनराशि का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके ।

3.1.3 प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में स्वस्थकर, साफ-सुथरा और प्राकृतिक वातावरण बनाए रखेगा, ताकि आगन्तुकों को प्राकृतिक वातावरण का पर्याप्त अवसर मिल सके ।

3.1.4 चिड़ियाघर, संकटापन्न प्रजातियों के संग्रहण और उनकी पुनर्जनन योजनाओं को प्राथमिकता देगा । प्रजातियों के चयन के लिए वरीयता का क्रम {अवरोही क्रम में} स्थान, देश और अन्य क्षेत्र होगा ।

3.1.5 चिड़ियाघर विभिन्न प्रजातियों के जीवजन्तुओं की संख्या का संग्रहण इस तरीके से नियमित करेगा कि प्रत्येक जीवजन्तु चिड़ियाघर के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चिड़ियाघर में प्रत्येक प्रजाति की व्यापक प्रबंध योजना तैयार की जाए ।

3.1.6 प्रत्येक चिड़ियाघर का यह प्रस्ताव रहेगा कि वे किसी भी प्रजाति के एक जीव का अथवा व्यवहार्य लिंग संबंधी अनुपातों का परिहार करें । वे इस प्रयोजनार्थ अभिज्ञात चिड़ियाघरों में आनुवांशिक रूप से, जनसांख्यिकीय तौर पर और सामाजिक रूप से व्यवहार्य समूहों में ऐसे जीवजन्तुओं को एकत्र करने में सहयोग करेंगे ।

3.1.7 चिड़ियाघर, बहुपुजनन प्रजातियों के अनावश्यक जीवजन्तुओं को नहीं रखेगा और यदि आवश्यक होगा तो जीवजन्तुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जायेंगे ।

3.2 जीवजन्तुओं का अधिग्रहण

3.2.1 अनुमोदित पुजनन कार्यक्रमों के लिए प्रवर्तक प्राप्तिपत्रों के अधिग्रहण और अन्तः प्रजात समूहों में नए रक्त के अन्तरण को छोड़कर, किसी भी प्राणी उद्यान को जंगल से जीवजन्तुओं का अर्जन नहीं करना चाहिए ।

3.2.2 चिड़ियाघर, वन्यजीव संरक्षण संबंधी कानून और अन्तर-राष्ट्रीय करारों के उपबंधों का उल्लंघन करने संबंधी कोई संव्यवहार नहीं करेंगे ।

3.2.3 चिड़ियाघर, किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ फालतू जीवजन्तुओं के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करेंगे, यहाँ तक कि जीवजन्तुओं के उत्पादों को भी व्यापारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा । तथापि, जीवजन्तुओं की द्राफ़ियों का उपयोग शैक्षिक या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है ।

3.3 जीवजन्तुओं का आश्रय स्थल

3.3.1 चिड़ियाघर में प्रत्येक जीवजन्तु को आश्रय, अनुरक्षण और स्वास्थ्य की देखभाल मुहैया की जाएगी ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता और दीर्घायु सुनिश्चित की जा सके और चिड़ियाघर के जीवजन्तुओं की आबादी को पुजनन के माध्यम से स्वतः बनाए रखा जा सके ।

3.3.2 चिड़ियाघर में प्रदर्शित अथवा रखी गई सभी प्रजातियों के लिए बाड़ों का आकार इस प्रकार का हो कि सभी जीवजन्तुओं को स्वच्छंद रूप से विचरण करने के लिए उपयुक्त स्थान मिल सके और किसी भी जीवजन्तु को दूसरे बल्ल्याली जीवजन्तु द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए ।

3.3.3 चिड़ियाघर में प्रत्येक जीवजन्तु के बाड़े में उपयुक्त आश्रय, बैठने की जगह, पीछे खिसकने की जगह, पानी में लेटने के लिए तालाब, पेयजल स्थल और ऐसी

अन्य सुविधाएं होनी चाहिए, जो जीवजन्तुओं को उनके प्राकृतिक आचरण को उन्मुक्त रूप से प्रदर्शित करने का अवसर मुहैया करने के साथ साथ उन्हें मौसम की तीव्रता से भी बचा सकें ।

3.4 जीवजन्तु समूहों की देखभाल

3.4.1 चिड़ियाघर, प्रत्येक प्रजाति को प्रकृति में उनके प्राकृतिक आहार के समान भोजन मुहैया कराएंगे । किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि कोई भोजन अवयव बदले जाने हों तो यह ध्यान रखा जाए कि उक्त अवयव उस प्रजाति की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करते हों ।

3.4.2 जीवजन्तुओं की अच्छी तरह देखभाल करने के लिए चिड़ियाघर में रहे गए सभी जीवजन्तुओं के लिए रात-दिन पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए ।

3.4.3 जीवजन्तुओं को मनुष्यों के बीच रखने और उसे पालतू बनाने से बचाने के उद्देश्य से, चिड़ियाघर, जहां तक संभव हो सके, स्टाफ द्वारा जीवजन्तुओं की पिटाई करने से बचाए रखें ।

3.4.4 चिड़ियाघर पर्यटकों के लाभ या किसी अन्य कारण के लिए किसी भी जीवजन्तु को किसी प्रदर्शन या करतब दिखाने के प्रयोजन के लिए उत्तेजित या तंग करने की अनुमति नहीं देंगे ।

3.5 स्वास्थ्य की देखभाल

3.5.1 चिड़ियाघर, उनके यहां मौजूद सभी जीवजन्तुओं की चिकित्सा संबंधी देखभाल उच्च मानकों के आधार पर मुहैया कराना सुनिश्चित करेंगे ।

3.5.2 प्रत्येक चिड़ियाघर द्वारा वन्य-प्राणियों के स्वास्थ्य और संरक्षण नियमों और विनियमों को लागू करने का प्रयास किया जाएगा और संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए उपयुक्त टीका कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा । चिड़ियाघर के पशुओं को संक्रामक रोग के पीड़ित पशुओं से अलग करने के लिए समय से कार्रवाई भी शुरू की जाए ताकि यह बीमारी और आगे न बढ़ने पाए ।

3.6 अनुसंधान और प्रशिक्षण

3.6.1 चिड़ियाघर, पशुओं की जैविकी, व्यवहार, पोषण और पशु-चिकित्सा के बारे में अनुसंधान को बढ़ावा देंगे। ये चिड़ियाघर वास्तुकला और भू-तुल्य डिजाइनिंग से संबंधी विशेषज्ञता सृजन के लिए भी प्रयास करेंगे। इस बारे में संबंधित क्षेत्रों में पहले से ही कार्यरत मान्यताप्राप्त संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा।

3.6.2 चिड़ियाघर इस क्षेत्र में उपलब्ध तकनीकी क्षमताओं का अन्तरण, चिड़ियाघर कर्मियों में करने का प्रयास भी करेंगे। केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण तथा राज्य सरकार इन प्रयासों में चिड़ियाघरों को उपयुक्त सहायता मुहैया कराएंगे। इस बारे में भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तथा भारत एवं विदेशों में उपयुक्त विशेषज्ञता प्राप्त अन्य संस्थाओं की सहायता भी ली जाएगी।

3.6.3 चिड़ियाघर आवधिक पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों तथा विशेष बुलेटिनों के प्रकाशन के माध्यम से प्रबंधन के वैज्ञानिक पहलुओं पर सूचना के प्रचार-प्रसार हेतु भी प्रयास करेंगे। ऐसे प्रयासों में गैर-सरकारी संगठनों तथा सरकारी संगठनों तथा सरकारी संस्थाओं की सहायता भी ली जाए। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण इस बारे में भारतीय चिड़ियाघर निदेशक संघ (आई जेड डी ए) तथा अन्य संस्थाओं को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

3.7 प्रजातियों के लिए प्रजनन कार्यक्रम

3.7.1 किसी प्रजाति के प्रजनन कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व, चिड़ियाघर उन उद्देश्यों को स्पष्ट करेंगे जिनके लिए प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए निर्धारित संख्या का निर्णय, अभिनिर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

3.7.2 सभी चिड़ियाघर, अभिनिर्धारित प्रजनन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को ऋण देकर, पूर्ण करके अथवा कार्यक्रम के लिए पशुओं की अदला-बदली तथा आनुवंशिक

एवं जनसांख्यिकी सामाजिक दृष्टि से सक्षम दलों के माध्यम से सफल बनाने में सहयोग करेंगे -चाहे इसके लिए अलग-अलग चिड़ियाघरों में पशुओं की संख्या या प्रदर्शित प्रजातियों की संख्या कम क्यों न करनी पड़े ।

3.7.3 चिड़ियाघरों द्वारा जैविकी, व्यवहार तथा फाउंडर पशुओं की न्यूनतम संख्या एवं उपलब्ध आश्रम सुविधाओं समेत संख्यात्मक कारक जैसे पर्याप्त आंकड़े एकत्र करने के पश्चात् प्रजनन कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे ।

3.7.4 प्रजनन के पश्चात् पशुओं को पुनः वनों में प्रेषण कराने के लिए, चिड़ियाघर पशुओं के प्रजनन कार्यक्रमों को, राज्य सरकार, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण तथा केन्द्रीय सरकार, जैसा भी मामला हो, की मंजूरी लेने के बाद शुरू किया जाएगा ।

3.7.5 चिड़ियाघर, अपने प्रजनन कार्यक्रमों में उन संकटापन्न प्रजातियों को प्राथमिकता देंगे जो उन चिड़ियाघर के भौगोलिक क्षेत्रों के घातक हैं, जिनमें वे स्थित हैं ।

3.7.6 प्रजनन कार्यक्रमों को वैज्ञानिक एवं नियोजित तरीके से चलाने के लिए, चिड़ियाघर, कार्यक्रम में शामिल प्रत्येक पशु को उपयुक्त विधि से चिन्हित करेगा और उपयुक्त रिकार्ड रखेगा ।

3.7.7 अन्तः प्रजनन को रोकने के लिए चिड़ियाघर बहुत ही सावधानी बरतेंगे । वे कृत्रिम साधनों को नहीं अपनाएंगे और विभिन्न जातियों, प्रजातियों और उप-जातियों के अन्य प्रजनन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयास नहीं करेंगे ।

3.7.8 प्रकाश प्रजनन सुविधाएं प्रदान करके पशुओं के पुनः प्रेषण हेतु उन्हें मनुष्यों द्वारा चिन्हित न करने हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे ।

3.8 शिक्षा और बाह्य गतिविधि

3.8.1 जर्कों तथा समुदाय में अन्यो को शिक्षित करने के लिए प्रत्येक चिड़ियाघर के पास एक सुनियोजित कार्यक्रम होना चाहिए । चिड़ियाघर इस बारे में अन्य स्थल-बाह्य सुविधाओं के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखेंगे ।

3.8.2 चिड़ियाघर शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, विभिन्न प्रजातियों की

उत्तरजीवितता और उनके प्राकृतिक वासस्थलों, बाड़ों की सुरक्षा के मध्य सम्पर्क बनाना है जिससे कि पशु अपने स्वाभाविक आचरण करें। यह बात चिड़ियाघर शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है। अतः चिड़ियाघर पशुओं को ऐसे बाड़ों में ही प्रदर्शित करेंगे, जिनमें पशुओं को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक वेदना न पहुँचे।

3.8.3 दर्शकों को विभिन्न प्रजातियों की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए आकर्षक और प्रभावी विशिष्ट {साइनेज} पद्धतियाँ, मुद्रित शिक्षा सामग्री एवं श्रव्य-दृश्य उपकरणों के जरिए पशुओं के संरक्षण संबंधी संदेश भी, प्रमाणिक पद्धतियाँ हैं। शिक्षा संदेश को मजबूत बनाने के लिए औपचारिक शिक्षा का एक कार्यक्रम भी चलाया जाए।

3.8.4 साइनेज के अलावा, चिड़ियाघर दर्शकों को संरक्षण का संदेश प्रभावीरूप से देने के लिए जानकार व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शक दौड़ों, वार्तालाप और श्रव्य-दृश्य शो का प्रयोग भी कर सकते हैं।

3.8.5 प्रकृति संरक्षण के लाभों के बारे में विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए विद्यालयों, कालेजों और गैर-सरकारी संगठनों की सहायता ली जाएगी।

3.9 विस्तार गतिविधियाँ

3.9.1 शहरी आबादी को प्रकृति का झरोखा मुहैया करने और प्रदूषित हो रहे पर्यावरण को बचाने के लिए चिड़ियाघर इन कार्यों के लिए अपनी विशेषज्ञता देंगे और बड़े शहरों के पास बड़े भू-भागों में प्रकृति उद्यानों के सृजन के लिए राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरणों की मदद करेंगे।

3.10 दर्शकों के लिए सुविधाएँ

3.10.1 चिड़ियाघर, दर्शकों को शौचालय, पेयजल, प्वाइंट्स, आश्रय स्थल तथा प्राथमिक उपचार जैसी नागरिक सुविधाएँ प्रदान करेंगे। पशु बाड़ों और अन्य नागरिक सुविधाओं तक जाने के लिए पहिए वाली कुर्सियों में दर्शकों के लाभ के लिए उन्हें रैम्पस भी प्रदान किए जाएंगे।

3.10.2 चिड़ियाघर, झरकों के विहार/मनोरंजन के लिए ऐसी किसी प्रकार की अवसरचना प्रदान नहीं करेंगे जो कि चिड़ियाघरों के वर्णित उद्देश्यों के असंगत हों।

[सं. एफ-26-1/95-के. चि. प्रा.]

विश्वनाथ आनन्द, सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

RESOLUTION

New Delhi, the 28th October, 1998

NATIONAL ZOO POLICY, 1998

S.O. 936(E).—1. PREAMBLE :

1.1. The growing awareness for nature & wildlife conservation has made zoos a popular institution. Estimates indicate that 10% of the world's population visit zoos every year. There are about 350 animal collections in India, which are visited by more than 50 million people annually.

1.2 While there is a history of scientific interest, conservation and welfare of captive wild animals in the country, many zoos have evolved from menageries and private collections, and most zoos until the last two decades were set up mainly for entertainment and recreation. As wildlife resources were abundant in the past, scientific knowledge about the behavioural and biological requirements of animals did not receive adequate attention, with the result that scientific management of wild animals in captivity has evolved slowly.

1.3 The need for making conservation as one of the main objectives of management of zoos was realised by Government of India soon after independence and the Indian Board for Wildlife made important recommendations in this regard. The Government set up an Expert Committee on Management of Zoos in November, 1972 and its recommendations were accepted in June, 1973. The recommendations are relevant even now for improving the management of zoos. The National Wildlife Action Plan of 1983 again emphasised the role of ex-situ conservation in national conservation efforts. However, because of varied ownership patterns and divergent nature of animal collections not much was achieved.

1.4 Today when wildlife habitats are under severe pressure and a large number of species of wild fauna have become endangered, the zoos have not only to sustain

their own populations but also augment the depleting populations of endangered species in the wild. This new role has been acknowledged by the global conservation community and Article 9 of the Convention on Biological Diversity.

1.5 As zoos are visited by a large number of visitors, zoos are a potent tool for educating people about the close linkage between protection of natural areas and maintaining the life supporting processes of nature. Well-planned and appropriately designed zoos can sensitize visitors to the dangers of a hostile or indifferent attitude towards nature.

1.6 In India, many well designed zoos were set up in some of the states but for the most part, zoos have not been able to meet the challenges imposed by the changing scenario and still continue with the legacy of past i.e. displaying animals under conditions which are neither congenial to the animals nor educative and rewarding to the visitors.

1.7 The amendment of the Wildlife (Protection) Act, in 1991, provided for the enforcement of mandatory standards and norms for management of zoos through the Central Zoo Authority. However, it is realised that the objectives of the Act can be achieved only through co-operation and participation of various government agencies, non-governmental organisations and people at large.

1.8 The National zoo Policy aims at giving proper direction and thrust to the management of zoos by mustering co-operation and participation of all concerned.

2. OBJECTIVES :

2.1 The main objective of the zoos shall be to complement and strengthen the national efforts in conservation of the rich biodiversity of the country, particularly the wild fauna. This objective can be achieved through the following protocol :-

2.1.1 Supporting the conservation of endangered species by giving species, which have no chance of survival in wild, a last chance of survival through coordinated breeding under ex-situ conditions and raise stocks for rehabilitating them in wild as and when it is appropriate and desirable.

2.1.2 To inspire amongst zoo visitors empathy for wild animals, an understanding and awareness about the need for conservation of natural resources and for maintaining

the ecological balance.

2.1.3 Providing opportunities for scientific studies useful for conservation in general and creation of data base for sharing between the agencies involved in in-situ and ex-situ conservation.

2.1.4 Besides the aforesaid objectives, the zoos shall continue to function as rescue centres for orphaned wild animals, subject to the availability of appropriate housing and upkeep infrastructure. Where appropriate housing and upkeep is not available, State Governments and the Central Government would ascertain setting up rescue facilities in off - the - display areas of the zoo, subject to the availability of land.

3. STRATEGY FOR ACHIEVING THE OBJECTIVES :

3.1 GENERAL POLICY ABOUT ZOOS :

3.1.1 Since zoos require a significant amount of resources in the form of land, water, energy and money, no new zoo shall be setup unless a sustained supply of resources including finance and technical support are guaranteed.

3.1.2 Zoos shall prepare a long-term masterplan for development to ensure optimum utilisation of the land, water, energy and finance.

3.1.3 Every Zoo shall maintain a healthy, hygienic and natural environment in the zoo, so that the visitors get an adequate opportunity to experience a natural environment.

3.1.4 Zoos shall give priority to endangered species in their collection and breeding plans. The order of preference for selection of species shall be (in descending order) locality, region, country and other areas.

3.1.5 Zoos shall regulate the number of animals of various species in their collection in such a way that each animal serves the objectives of the zoo. For achieving this objective, a detailed management plan of every species in the zoo shall be prepared.

3.1.6 Every zoo shall endeavour to avoid keeping single animals or non-viable sex ratios of any species. They shall cooperate in pooling such animals into genetically, demographically and socially viable groups at zoos identified for the purpose.

3.1.7 Zoos shall avoid keeping surplus animals of

prolifically breeding species and if required, appropriate population control measures shall be adopted.

3.2 ACQUISITION OF ANIMALS :

3.2.1 Except for obtaining founder animals for approved breeding programme and infusion of new blood into inbred groups, no zoo shall collect animals from the wild.

3.2.2 Zoos shall not enter into any transaction involving violation of the law and provisions of international conventions on wildlife conservation.

3.2.3 Zoos shall not enter into any transaction in respect of their surplus animals with any commercial establishment. Even the animal products should not be utilised for commercial purposes. The trophies of the animals could, however, be used for educational or scientific purposes.

3.3 ANIMAL HOUSING :

3.3.1 Every animal in a zoo shall be provided housing, upkeep and health care that can ensure a quality of life and longevity to enable the zoo population sustain itself through procreation.

3.3.2 The enclosure for all the species displayed or kept in a zoo shall be of such size that all animals get adequate space for free movement and exercise and no animal is unduly dominated or harassed by any other animal.

3.3.3 Each animal enclosure in a zoo shall have appropriate shelters, perches, withdrawal areas, wallow, pools, drinking water points and such other facilities which can provide the animals a chance to display the wide range of their natural behaviour as well as protect them from extremes of climate.

3.4 UPKEEP OF ANIMAL COLLECTIONS :

3.4.1 Zoos shall provide diet to each species which is similar to its feed in nature. Where for unavoidable reasons any ingredients have to be substituted, due care will be taken to ensure that the substitute fulfills the nutritional requirement of the species.

3.4.2 For the well-being of the animals, round the clock supply of potable drinking water shall be made available to all animals kept in the zoo.

3.4.3 With the objective of avoiding human imprinting and domestication of animals, zoos shall prevent physical handling of animals by the staff to the extent possible.

3.4.4 Zoos shall not allow any animal to be provoked or tortured for the purpose of extracting any performance or tricks for the benefit of the visitors or for any other reason.

3.5 HEALTH CARE :

3.5.1 Zoos shall ensure availability of the highest standards of veterinary care to all the animals in their collection.

3.5.2 Adequate measures shall be taken by every Zoo for implementing wildlife health and quarantine rules and regulations. Appropriate vaccination programmes shall also be taken up for safeguarding against infectious diseases. Timely action to isolate infected animals from the zoo population shall also be taken to avoid further spread of disease.

3.6 RESEARCH AND TRAINING :

3.6.1 The zoos shall encourage research on the biology, behaviour, nutrition and veterinary aspects of animals in their collection. They shall also endeavour for creation of expertise on zoo architecture and landscape designing, co-operation of recognised institutions already working in relevant fields in this regard shall be taken.

3.6.2 Zoos shall endeavour for transfer of technical skills available in the field for zoo personnel. The Central Government, Central Zoo Authority and State Government shall provide due support to zoos in these efforts. Assistance of Wildlife Institute of India (WII), Indian Veterinary Research Institute (IVRI) and other institutions within India and abroad, having appropriate expertise shall be taken in this regard.

3.6.3 Zoos shall also endeavour for dissemination of information on scientific aspects of management through publication of periodicals, journals, news letters and special bulletins. Help of non-governmental organisations (NGOs) and government institutions shall also be availed in such efforts. The Central Zoo Authority shall provide technical and financial support to the Indian Zoo Directors Association (IZDA) and other institutions in this regard.

3.7 BREEDING PROGRAMME FOR SPECIES :

3.7.1 Before taking up breeding programme of any species, zoos shall clearly identify the objectives for which the breeding programme is being taken up. The targeted numbers for the programme would be decided keeping in view the identified objectives.

3.7.2 All zoos shall cooperate in successful implementation of identified breeding programmes by way of loaning, pooling or exchanging animals for the programme and help creation of socially, genetically and demographically viable groups even at the cost of reducing the number of animals or number of species displayed in individual zoos.

3.7.3 Breeding programme shall be taken up by zoos after collection of adequate data like biology, behaviour and other demographic factors affecting the programme, including the minimum number of founder animals and the quantum of housing facilities available.

3.7.4 Programmes for breeding of zoo animals for re-introduction in the wild shall be taken up after getting approval of the State Government, the Central Zoo Authority and the Central Government as the case may be.

3.7.5 Zoos shall give priority in their breeding programmes to endangered species representing the zoogeographic zones in which they are located.

3.7.6 For carrying out breeding programmes in a scientific and planned manner the zoo shall mark every individual animal involved in the programme in an appropriate manner and maintain appropriate records.

3.7.7 Zoos shall take utmost precaution to prevent inbreeding. They shall avoid artificial selection of traits and make no explicit or implicit attempts to interbreed various genera, species and sub-species.

3.7.8 Special efforts shall be made to avoid human imprinting of the stocks raised for re-introduction purposes by providing off exhibit breeding facilities

3.8 EDUCATION AND OUTREACH ACTIVITY :

3.8.1 Each zoo should have a well drawn-up plan for educating the visitors as well as others in the community. Zoos shall keep a close liasion with other ex-situ facilities in this regard.

3.8.2 The central theme of the zoo education programme being the linkage between the survival of various species and protection of their natural habitat, enclosures which allow the animals to display natural behaviour are crucial to zoo education. Zoos shall, therefore, display animals in such enclosures only where the animals do not suffer physiological and psychological restraint.

3.8.3 Attractive and effective signage methods and interactive displays to explain activities of various species to visitors, published education material and audio-visual devices are proven methods for driving home the conservations message. A formal education programme should also be persued for strengthening the education message.

3.8.4 Besides signage, the zoos shall also use guided tours, talks by knowledgeable persons and audio-visual shows for effectively communicating the message of conservation to the visitors.

3.8.5 The help of universities, colleges and non-governmental organisation shall be taken to educate the students about the benefits of supporting nature conservation programmes.

3.9. EXTENSION ACTIVITIES :

3.9.1 To provide the urban population with a window to nature and to serve as green lungs for the polluting environment, zoos shall extend their expertise and help to State Governments and local authorities to create nature parks extending over extensive areas near big cities.

3.10 AMENITIES TO VISITORS :

3.10.1 Zoos shall provide basic civic amenities to the visitors like toilets, drinking water points, shelters and first-aid facilities. Ramps shall also be provided for the benefit of visitors in wheel chairs for approach to animal enclosure and other civic amenities.

3.10.2 Zoos shall not provide any infrastructure for recreation/entertainment of visitors that is inconsistent with the stated objective of zoos.

[F No. 26-1/95-CZA]

VISHWANATH ANAND, Secy.